3. जामनगर
4. भावनगर
5. मेहसाना
6. कलोल
7. नादिया डी
8. अंजर
9. जूनागढ़
10. भारूच
11. राजपीपिला
12. डेलसा
13. धर्मगढ़ेरा
14. लिम्दी
15. पोरबंदर
16. केसोद
17. बारडोली
18. आनन्द
19. विशनगर
20. पालम पुर
21. अंकलेश्वर
22. जामबुशर
23. सुरेन्द्रानगर
24. वधवां
25. विरावल
26. ऊना
27. मंजराल
28. विसारा

(ख) राज्य में विभिन्न शहरों को केन्द्रीय निधियों का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यू बी एस/यू बी एस पी स्कीमों का कार्यान्वयन स्लम वासियों की जरूरी आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है इसलिए कार्य का स्वरूप व मात्रा भिन्न-भिन्न कस्बों में अलग-अलग होती है। 1990–91 और 1991–92 के दौरान गुजरात में यू बी एस/यू बी एस पी स्कीमों के लिए क्रमशः 106.15 लाख और 103.36 लाख रुपए की केन्द्रीय निधियां रिलीज की गई थी।

शहरी क्षेत्रों में गरीबी

3446. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों को आवास-निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोई केन्द्रीय योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु गुजरात सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) वर्ष 1992 के दौरान कितने आवास बनाये जाने का विचार है

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों के निजी कोटे में से मकानों के आवंटन की दोहरी नीति

3447. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रिया के निजी कोटे में से मकानों के आवंटन की दोहरी नीति है और जो लोग पात्र कार्यालयों में कार्य करते है वे लोग मकान रख सकते है और पूलों में परिवर्तन होने पर मकान को रद्द किये जाने का नियम है जिसके कारण अन्य पूल से